श्री...

प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक..................

को प्रस्तुत

[illegible] राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर, खण्डपीठ इंदौर के समक्ष

[illegible] राजस्व निगरानी क्र0 [illegible]

आवश्यक कार्यों से
जाये
17.6.14

[illegible] पिता [illegible],

निवासी ग्राम [illegible], तह0 महू, जिला इंदौर .. प्रार्थी,

विरुद्ध

[illegible] पिता [illegible],

निवासी ग्राम [illegible], तह0 महू,

वर्तमान निवासी धनवन्तरी नगर, हर्षवर्द्धन काम्पलेक्स,

[illegible] मंजिल, [illegible] राजेन्द्रनगर, इंदौर . प्रतिप्रार्थी

।। [illegible] धारा 32 [illegible] धारा 32 म0 प्र0 [illegible]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2024 –पीबीआर/14 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–8–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 28–4–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि प्रश्नाधीन भूमि स्व. कन्हैयालाल खाती के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित थी, और उनकी मृत्यु उपरांत आवेदक श्रीराम द्वारा राजस्व निरीक्षक से अपने पक्ष में नामांतरण प्रमाणित करवा लिया गया है जबकि स्व. कन्हैयालाल का अनावेदक सवजीराम भी पुत्र है इसलिए नामांतरण विवादित था, और विवादित नामांतरण करने का अधिकार राजस्व निरीक्षक को नही होकर केवल अविवादित नामांतरण करने का ही अधिकार राजस्व निरीक्षक को है । अतः तहसीलदार द्वारा नामांतरण प्रकरण पुनः प्रारंभ किया जा सकता है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की अपील निरस्त करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	